II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-8-18	आवेदक अक्षत शर्मा उर्फ रामू की ओर से श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र वर्मा अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण आज आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 410 द.प्र.सं. पर आदेश हेतु नियत है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रमुख रूप से इस प्रकार है कि आवेदक के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण कमांक 11786/15 मयंक मेहता विरूद्ध अक्षत आदि श्री प्रदीप दुबे जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय में लंबित हैं। संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका है, प्रकरण का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र निराकरण किया जाना है, इसलिए उपरोक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। आवेदन पर विचार किया गया, श्री प्रदीप दुबे जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त आपराधिक प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह सही है कि श्री प्रदीप दुबे, जे.एम.एफ.सी. का ग्वालियर से स्थानांतरण हो गया है और वर्तमान में उनकी न्यायालय रिक्त है, प्रकरण का माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार शीघ्र निराकरण वांछित है, ऐसे में उक्त प्रकरण को श्री प्रदीप दुबे जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अक्षत शर्मा उर्फ रामू की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 410 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। श्री प्रदीप दुबे, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर की न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण कमांक 11786/15 मयंक मेहता विरूद्ध अक्षत आदि को प्रत्याहरित किया जाकर विधिवत निराकरण हेतु श्री मातादीन रजक ए.सी.जे.एम. ग्वालियर के न्यायालय में अंतरित किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित न्यायालयों के मूल अभिलेख वापस किये जावे। प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो। (...श्रीवास्तव) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर (म.प्र.)	Record sent D. No. 445 09/08/18. Now Mo 09/08/18

Signed By
:RAKESH
KUMAR
JAIN
Signed On
:2020.10.13